प्ररूप सं. 45ग

[नियम 112घ(1) *देखिए*]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 132 की उपधारा (1) के
अधीन प्राधिकार का वारंट

[सेवा में

उप निदेशक,

उपायुक्त,

सहायक निदेशक,

सहायक आयुक्त,

आय-कर अधिकारी]

.....

मेरे समक्ष जानकारी रखी गई है और उस पर विचार करने पर मेरे पास यह विश्वास करने का कारण है कि–
भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 की धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन या आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 131 की उपधारा (1) के अधीन समन अथवा भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 की धारा 22 की उपधारा (4) के अधीन या आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन सूचना [उपायुक्त/सहायक आयुक्त/आय-कर अधिकारी] द्वारा

.....

[व्यक्ति का नाम]

को, सुसंगत समन या सूचना में विनिर्दिष्ट लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने या प्रस्तुत कराने के लिए जारी किया गया था/जारी की गई थी और उसने ऐसे समन या सूचना द्वारा यथाअपेक्षित ऐसी लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने या प्रस्तुत कराने में लोप किया है या वह असफल रहा है तथा उन लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को

.....

[अधिकारी या प्राधिकारी का नाम और पदनाम]

..... अभिरक्षा में लिया गया है।

कतिपय लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को, जो भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 या आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या सुसंगत होंगे ..... अभिरक्षा में लिया गया है।

[अधिकारी या प्राधिकारी का नाम और पदनाम]

और सर्वश्री/श्री/श्रीमती ....., जिसको

[व्यक्ति का नाम]

भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 की धारा 137 की उपधारा (1) के अधीन या आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 131 की उपधारा (1) के अधीन समन अथवा भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 की धारा 22 की उपधारा (4) के अधीन या आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन सूचना [उपायुक्त/सहायक आयुक्त/आय-कर अधिकारी] ..... द्वारा जारी की गई है या जारी की जानी है, उक्त अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा उनके लौटाए जाने पर ऐसी लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करेगा या कराएगा;

..... द्वारा अभिरक्षा में

[अधिकारी या प्राधिकारी का नाम और पदनाम]

ली गई आस्तियां, ऐसी आय या संपत्ति का पूर्णतः या भागतः प्रतिनिधित्व करती हैं, जो .....

[व्यक्ति का नाम]

द्वारा जिसके कब्जे या नियंत्रण से ऐसी आस्तियों को पूर्वोक्त अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा अभिरक्षा में लिया गया था, भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 या आय-कर अधिनियम, 1961 के प्रयोजनों के लिए प्रकट नहीं की गई हैं या प्रकट नहीं की जाएंगी।

आपको .....

[उप-निदेशक या उप आयुक्त या सहायक निदेशक या सहायक आयुक्त या आय-कर अधिकारी का नाम]

प्राधिकृत किया जाता है कि आप उक्त अधिकारी या प्राधिकारी से यह अपेक्षा करें कि पूर्वोक्त रूप से लेखा पुस्तकों, अन्य दस्तावेजों या आस्तियों का आपको परिदान कर दें।

[*महानिदेशक या निदेशक*]

(मुद्रा)

आय-कर के [*मुख्य आयुक्त या आयुक्त*]